डी.आर.यू. प्रभाग द्वारा किये जा रहे समस्त शैक्षिक कार्यो का प्रकार :—
डी.आर.यू. प्रभाग

प्रभाग का परिचय :—

भारतीय संविधान की धारा 45 के अन्तर्गत 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बालक/बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संकल्प लिया गया है, क्योंकि शिशु के सर्वागीण विकास का व्यावहारिक स्वरूप शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। इस संकल्प को प्राप्त करने लिए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में औपचारिक विद्यालयों की सुविधा उपलब्ध है, तथापि बहुत से विद्यालय जाने योग्य बालक/बालिकाएं औपचारिक शिक्षा से वंचित है। ऐसे वंचित बालक/बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सर्वशिक्षा अभियान, डी.पी.ई.पी., की व्यवस्था की गई।

सर्व शिक्षा अभियान, साक्षरता एवं सतत् शिक्षा के कार्यक्रमों में राजकीय, निजी एवं स्वयं सेवी संस्थाएँ कार्यरत हैं। इनमें जुड़े कार्मिकों का उक्त कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर सघन एवं अभिनवन प्रशिक्षण अनिवार्य है। इस हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सफल नियोजन, आयोजन समन्वय एवं प्रबोधन की व्यवस्था जिला संसाधन एकक के माध्यम से की गई। इससे इन कार्यक्रमों में शैक्षिक सुदृढ़ीकरण हो सकेगा।

जिला संसाधन एकक प्रभाग के कार्यों में व्यापकता एवं विविधता है। एक तरफ यह विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बालक/बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रयासरत रहता है वहीं दूसरी ओर महिला सशक्तिकरण, जनसंख्या शिक्षा संबंधी नवीन अवधारणाओं, जनसंख्या, आपदा प्रबंधन, एड्स विषयक, मानवाधिकार की जानकारी, निशक्त एवं किशोर–किशोरियों की शिक्षा हेतु प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वयन करता है।

डी.आर.यू. प्रभाग के कार्य :—

जिले मे सर्वशिक्षा से सम्बन्धित प्रशिक्षण के लिए योजना निर्माण करना।

पेरा टीचर्स एवं शिक्षा सहयोगियों को प्रशिक्षण के माध्यम से विषय वस्तु की जानकारी देना।

महिला सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।

साक्षरता एवं सतत् शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में सहयोग प्रदान करना।

जनसंख्या शिक्षा एवं विकास अभिनवन प्रशिक्षण आयोजित करना।

मानवाधिकार की जानकारी हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।

आपदा प्रबन्धन एवं दहेज प्रतिबन्ध अधिनियम विषयक प्रारम्भिक जानकारी हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।

विश्वजनसंख्या दिवस, साक्षरता दिवस, महिला दिवस, विश्व एड्स दिवस आदि मानने हेतु प्रशिक्षण एवं कार्यगोष्ठी आयोजित करना।

निःशक्तजन, एकीकृत शिक्षा योजनान्तर्गत कक्षा शिक्षण प्रशिक्षण आयोजित करना।

अनुवर्तन कार्यक्रम आयोजित करना।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की क्षमता विकसित करने हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेक्टोरियल बैठक मे भाग लेकर मार्गदर्शन करना तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्ररीवीक्षण एवं प्रबोधन का कार्य करना।

डी.आर.यू., प्रभाग से संबंधित प्रभाग स्तरीय शोध सम्पादित करना।

डी.आर.यू., प्रभाग की विषयवस्तु से जुड़े अर्द्धवार्षिक/वार्षिक प्रकाशन(ब्रोशर) तैयार करना।

स्वयं के संस्थान के अन्य प्रभागों को समय–समय पर अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

एस.आई.ई.आर.टी. से विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना।

एस.आई.ई.आर.टी. के विभिन्न कार्यों मे अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।

प्रभागीय विषयवस्तु पर आधारित ब्रोशर का निर्माण कर उनका सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण में वितरण करना।